न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 07 / 2022 पुराना,...../ 2023 दायर तारीख :– 17.01.2022

1. भवरलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी गीदा का बास का तहसील कि0 रेनवाल

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी गीदा का बास तहसील कि0 रेनवाल
2. लालाराम पुत्र हनुमान
3. मूलचन्द पुत्र हनुमान जाति जाट निवासीयान गीदा का बास तहसील कि0 रेनवाल
4. भंवरी देवी पुत्री हनुमान पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी खेडी चारणवास पो0 पचार तहसील झोटवाडा जिला जयपुर राज0
5. लाली देवी पुत्री हनुमान पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी खेडी चारणवास पो0 पचार तहसील झोटवाडा जिला जयपुर
6. कानी देवी पुत्री हनुमान पत्नी बोदूराम जाति जाट निवासी भोजपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादवा जरिये प्रबन्धक
8. तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
9. सबरजिस्ट्रार कि0 रेनवाल जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री जंयत चौधरी विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश वर्मा विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ,2,4,5,6
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 31/10/25

1. प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त उनवानी दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है व साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पेश किया है जिसका सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ल0 06 सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनका सिजरा खानदान प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है। राजस्व गांव गीदा का बास पटवार हल्का अणतपुरा भू0अभि0 निरीक्षक भैसलाना तहसील कि0 रेनवाल आराजी खसरा नम्बर 1127 / 2, 1128 / 1,1131 / 1,1133,1129,1135,1120 / 2,में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जिमसें प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 2 राजस्व रिकोर्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। जो प्रतिवादी संख्या 01 को स्वर्गीय दूदा पुत्र जैता की विरासत से प्राप्त हुई जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 06 का समान हक व हिस्सा है। जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ल0 06 अपने हिस्से अनुसार करते आ रहे है। उक्त आराजी में वादी का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार दूदा पुत्र जैता के परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गये है। प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध हो चुका है। जिसकी वद्धावस्था का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने प्रभाव में ले रखा है पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1को विरासत में मिली आराजी खसरा नम्बर 1122 / 2 में से सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1129 में 5 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 से करवा दिया और उसकी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हडप कर गये। प्रतिवादी संख्या
व 3 की नियत मे फितूर आया हुआ है और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 यानी
वादग्रस्त भूमि मे वर्णित मे कोई हक व हिस्सा नहीं देना चाहते है तथा प्रतिवा
संख्या 01 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज उपरोक्त भूमि को बेचानकरवाकर यानी
उसके हक व हिस्से से वंचित करना चाहते है। इसी आशय से दिनांक 05.1.20
को प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 वादग्रस्त भूमि पर अजनबी व्यक्तियों को लाकर
दिखाकर विक्रय की बातचीत की जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 0
को लाकर भूमि दिखाकर विक्रय की बातचीत की जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण
संख्या 01 ल0 03 को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को
वादग्रस्त भूमि में उसके हक व हिस्से की भूमि से किसी भी समय विक्रय कर खुर्दबुद
करने तथा वादी को बेदखल कर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा करवाने की धमकी दी
इस कारण वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु वाद बाबत घोषणा खातेदारी व
स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0
1 2,4,5,6 की ओर से वकील मुकेश वर्मा ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया
गया तथा जवाब पेश किया जिसका सूक्ष्म विवरण इस प्रकार वाद ग्रस्त आराजीयात
पुश्तैनी सम्पति है। जिसमें मिन प्रतिवादी का 1/6, 1/6 हिस्सा है और अपने हक
व हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी
संख्या 2 किसी भी तरह का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते है। दिनांक 05.1.
2022 का वाका गलत है । अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या
1,2,4,5,6 का वाद ग्रस्त आराजीयात में दूदा पुत्र जैता की आराजीयात में समान
हक व हिस्सा बनता है। वादी का किसी प्रकार वादकारण विरूद्ध मिन प्रतिवादीगण
उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वादी का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य
है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3,7 बावजूद सूचना हाजिर नहीं है अतः इनके विरूद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 8,9 पैरोकार सरकार है।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। दौराने
बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जो प्रतिवादी संख्या 01 को
स्वर्गीय दूदा पुत्र जैता की विरासत से प्राप्त हुई जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1
ल0 06 का समान हक व हिस्सा है। जिसका उपयोग उपभोग वादी व प्रतिवादी
संख्या 01 ल0 06 अपने हिस्से अनुसार करते आ रहे है। उक्त आराजी में वादी का
हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार दूदा पुत्र जैता के
परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गये है। इसलिए वादी को
अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी
निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता
1,2,4,5,6 ने अपनी बहस में कथन किया है की उक्त आराजीयात पुश्तैनी सम्पति है।
जिसमें मिन प्रतिवादी का 1/6, 1/6 हिस्सा है जिसमें दूदा पुत्र जैता की
आराजीयात में समान हक व हिस्सा है। वादी का किसी प्रकार वादकारण विरूद्ध
मिन प्रतिवादीगण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वादी का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज
किये जाने योग्य है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर
मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व
सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है
कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा
का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है।
उक्त सदंर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी

- प्रथम दृष्टया मामलाः— सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया विवाद कारण/विषयवस्तु को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि है प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी को पैतृक आराजी बनाते हुए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत वाई वर्थ अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का भी हिस्सा होने के तथ्य स्वीकार दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी संपति होना स्वीकार किया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग कर रहे हे। प्रकरण एक सहदायिकी संपति में सहदायक पुत्र —पुत्री के हक हिस्से से संबंधित है प्रकरण में वाद विचारण के पश्चात ही सहादयक पुत्र पुत्री के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथम दृष्टया मामला/वाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जा सकता है।
- सुविधा का सतुंलनः— प्रकरण में प्रार्थी को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कानूनी अधिकारी निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में वाद विचारण के पश्चात ही सहदायिकी संपति पर सहादयक पुत्र—पुत्री के हक —हिस्से के बारने में निर्णय किया जा सकता है। दौराने वाद वादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एंव वाद के निर्णय के पश्चात वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल संभावित है।इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने एंव प्रार्थी को उसके हक—हिस्से की भूमि में कब्जे—काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने तथा प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।
- अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में प्रार्थी को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कानूनी अधिकारी निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में वाद विचारण के पश्चात ही सहदायिकी संपति पर सहादयक पुत्र—पुत्री के हक —हिस्से के बारने में निर्णय किया जा सकता है। दौराने वाद वादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एंव वाद के निर्णय के पश्चात वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल संभावित है। साथ इससे वादों की बहुलता मेंभी वृद्धि की संभावना है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता हैं
- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के वर्णित आराजी पर दिनांक 17.01.2022 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-रेनवाल

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित होने पर वाद ग्रस्त आराजी पर दिनांक 17.01.2022 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट की जाती है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश्वर शर्मा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल